कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2101 /11–सी– FP/UP/Pipeline/52656/2020, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 12 ,2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–अमेठी के अंतर्गत लखनऊ–सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग–731 (पुराना एन0एच0 सं0–56) के किमी0 64.000 से 77.420 के मध्य दांयी पटरी पर प्रस्तावित टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रभावित 0.6689 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 558 पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/08/234/2021/एफ0सी0/548, दिनांक 24.11.2021 एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, अयोध्या का पत्रांक–1919/14–10, दिनांक 07.01.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, अयोध्या के उपरोक्त पत्रांक–1919/14–10, दिनांक 07.01.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन ''परिवेश'' पोर्टल पर अपलोड कर दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2101 /11–सी–FP/UP/Pipeline/52656/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, अयोध्या।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग, अमेठी।
3. प्रबन्धक, टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि0, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-44